9

उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव की सार्थकता

रश्मि श्रीवास्तव*

कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना वर्तमान समय में बालिकाओं की शिक्षा की एक बड़ी ही लाभप्रद योजना है, किंतु इस योजना का कक्षा-8 तक की ही शिक्षा से संबंधित होना इस योजना के लाभ को सीमित कर देता है। अत: अति आवश्यक प्रतीत होता है कि इन विद्यालयों को क्रमोन्नत करके कम-से-कम हाईस्कूल स्तर तक किया जाए।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय-

कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं से युक्त विद्यालय खोले जाने से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत वंचित वर्ग की उन बालिकाओं को कक्षा-छ: से आठ तक की आवासीय शिक्षा दी जाती है, जिनका स्कूल में कभी नामांकन ही नहीं हुआ या जिन्होंने किन्हीं कारणों से स्कूल जाना छोड़ दिया हो।[1] यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे विकास खंडों में लागू की जाती है जहाँ वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम और लैंगिक भेदभाव का स्तर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। ऐसे विकास खंडों में कम महिला साक्षरता वाले तथा स्कूल न जानेवाली अधिकतर बालिकाओं वाले जनजातीय क्षेत्रों में ये विद्यालय खोले जाते हैं। यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से 2004 में शुरू की गई, जो कि सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित की जाती है।[2]

उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना वर्ष 2004-05 से संचालित की जा रही है। यह योजना प्रदेश में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन 680 विकास खंडों में चलाई जा रही है, जहाँ महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत (46.13 प्रतिशत) से कम है तथा पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता दरों का अंतर्राष्ट्रीय औसत (21.59 प्रतिशत) से अधिक है।[3] प्रदेश में वर्तमान समय में लगभग 450 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। इनमें लगभग तीस हज़ार बालिकाएँ शिक्षा ग्रहण

* विभागाध्यक्ष (बी.एड.) हीरालाल यादव, बालिका डिग्री कालेज, सरोजनी नगर, लखनऊ

कर रही हैं।[4]

नि:संदेह भारत के सामाजिक परिवेश में यह एक लाभकारी योजना है। भारत में जहाँ स्त्री लंबे समय से शिक्षा से वंचित रही है, वहाँ इसके दुष्प्रभाव आज भी मौजूद हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तथा तीव्र आर्थिक विकास के साथ देश की बालिकाओं की दशा में सुधार हुआ है। शहरी क्षेत्रों के मध्यम और उच्च वर्ग में वे पुरुषों के साथ बराबरी का दर्ज़ा भी हासिल कर पा रही हैं, किंतु यह तो एक ऊपरी आवरण भर है। नीचे की परतें अभी भी नम और कसैली ही हैं। दूरस्थ ग्रामीण अंचलों एवं वंचित वर्ग की बालिकाओं की दशा आज भी समाज में बड़ी शोचनीय है। इस वर्ग की बालिकाओं को ढेरों सामाजिक कुरीतियों के बीच जीवनयापन करना पड़ रहा है। शिक्षा प्राप्ति के अवसर उपलब्ध हो पाना उनके लिए एक स्वप्न के समान है। परिवार तथा आस-पास के सामाजिक वातावरण में लड़के-लड़की में भेद किया जाना आम बात है। बड़ी संख्या में लड़कियों का कार्यक्षेत्र घरों के भीतर ही सीमित है और वे शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों ने उन्हें एक ऐसा आश्रय दिया है, जहाँ ये बालिकाएँ सामान्य सामाजिक धारा के साथ अपने-आप को जोड़ पा रही हैं। ये विद्यालय आवासीय होने के कारण जहाँ उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वहीं एक स्वस्थ वातावरण भी उपलब्ध करा पा रहे हैं, जिससे इन बालिकाओं के सोचने-समझने का नज़रिया व्यापक हो सके। वे ऊँचा उठने के सपने देख सकें एवं उन्हें साकार करने के प्रयास कर सकें।

कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की सीमाएँ

इस संदर्भ में ध्यान दें कि क्या हम वंचित वर्ग की इन बालिकाओं को कक्षा-8 तक की शिक्षा प्रदान करके उनके जीवन को सही मायने में दिशा दे पा रहे हैं। सही तौर पर देखा जाए तो नहीं। कक्षा-8 तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये बालिकाएँ न तो किसी रोज़गार को अपनाने के लिए तैयार हो पाती हैं और न ही इन्हें कोई ऐसी स्तरीकृत शैक्षिक उपलब्धि का प्रमाण पत्र प्राप्त हो पाता है, जो इन्हें शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से कोई स्थायित्व दे सके। कक्षा-8 पास करने के पश्चात् कक्षा-9 में प्रवेश की हकदार इन किशोरी छात्राओं को प्राय: कहीं बाहर जाकर पढ़ सकने के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते और वे अपने घरों के भीतर अपनी पुरानी जिंदगी में रच-बसकर जल्द ही उसी सीढ़ी पर आ खड़ी होती हैं, जहाँ से उन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में प्रवेश लिया था। आगे पढ़ाई के अवसर न मिल पाने से पढ़ी गई विषयवस्तु से नाता टूटते देर नहीं लगती।

अत: यह अति आवश्यक प्रतीत होता है कि कक्षा-8 तक शिक्षा प्राप्त इन छात्राओं की शिक्षा को आगे जारी रखते हुए उन्हें कम- से-कम कक्षा-10/हाईस्कूल तक की शिक्षा अवश्य दी जाए। हाईस्कूल स्तर का सम्मानजनक प्रमाण पत्र जहाँ उन्हें आत्मविश्वास देगा, वहीं उनके अभिभावक भी कुछ हद तक गौरवान्वित हो सकेंगे कि बिटिया ने हाईस्कूल स्तर का प्रमाण पत्र हासिल किया है। कुछ हद तक इन

बालिकाओं को एक नई दिशा भी प्राप्त हो सकेगी। कक्षा-8 के पश्चात् 2 वर्ष की यह शिक्षा उनके लिए इसलिए भी आवश्यक है कि शारीरिक मानसिक विकास की दृष्टि से किशोरावस्था की यह आयु बड़ी ही संवेदनशील होती है। इन वर्षों को सही और सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त होने पर इनके जीवन की दिशा भी सकारात्मक पक्ष की ओर मुड़ सकती है।

भारत के ग्रामीण परिवेश में प्रायः देखा जाता है कि 13-14 आयु वर्ग तक आते-आते बालिकाओं पर उनके अभिभावक तमाम तरह की बंदिशें लाद देते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की दृष्टि से इस दशा से उत्पन्न समस्या को देखें। कक्षा-8 तक शिक्षा प्राप्त करके अपने घरों को लौटनेवाली बालिकाओं को भी उनके घरों में बंद होते देर न लगेगी, जबकि यदि ये बालिकाएँ एक बार घरों से निकलकर अपनी शिक्षा प्रारंभ कर चुकने की स्थिति में कक्षा-8 के पश्चात् भी विद्यालयों में बनी रहें तो उनके अभिभावकों की बंदिशें उन तक न पहुँच सकेंगी।

कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव की सार्थकता-

प्रसन्नता का विषय यह है कि बालिकाओं की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में संचालित किए जा रहे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को क्रमोन्नत कर हाईस्कूल स्तर तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग का यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट भेजा जाएगा।[5] कैबिनेट द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने की दशा में ये विद्यालय सही रूप में अपनी उपयोगिता साबित कर सकेंगे। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अध्ययनरत तमाम बालिकाओं की शिक्षा बीच में न छूट सकेगी। ये बालिकाएँ अपनी शिक्षा एक सम्मानजनक स्तर तक जारी रख सकेंगी। दो वर्ष की अवधि तक अपनी शिक्षा जारी रख कर ये बालिकाएँ अवश्य ही और अधिक परिपक्व एवं समझदार हो सकेंगी और उनमें अपनी शिक्षा और जीवन की विभिन्न समस्याओं के प्रति उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सकेगा।

कक्षा-8 की छात्राएँ प्रायः 12-13 आयु वर्ग की होती है और अपने अभिभावकों के निर्णयों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेती हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात् ये बालिकाएँ शारीरिक तथा मानसिक रूप से इतनी परिपक्व हो सकेंगी कि अपने अभिभावकों के निर्णय को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करेंगी और सही निर्णयों के प्रति उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर सकेंगी। कुल मिलाकर यह स्पष्ट होता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को उच्चीकृत कर हाईस्कूल तक किए जाने का प्रस्ताव बड़ा ही प्रशंसनीय है। इन्हें शीघ्रातिशीघ्र लागू करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

संदर्भ-

1. यूनुस एस. एम. तथा सिंह कर्ण (2007)- उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, गोविंद

प्रकाशन, लखीमपुर खीरी, पृ. 32
2. यादव मोना (2009) – कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय – बालिका शिक्षा के लिए सार्थक पहल, प्राथमिक शिक्षक, एन. सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली। पृ. 10
3. दैनिक जागरण (2009) – कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के उच्चीकरण करने का प्रस्ताव, दैनिक समाचार पत्र, जागरण प्रकाशन, लखनऊ, 2 नवंबर, पृ. 9
4. – वही – पृ. 9
5. – वही – पृ. 9

❑❑❑